यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/53/2020 **दिनांक :** 29.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

हम एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् द्वारा माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/36 दिनांक 28.3.2020 का अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्रीमती निर्मला सीतारमण,
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

महोदया,

ऐसे समय में जब कि पूरा बैंकिंग कार्यबल अपने स्वास्थ्य को लेकर भय और आशंका से चिंतित है क्योंकि उन्हें शाखाओं में जहां वे कार्य करते हैं, वहां बड़ी संख्या में ग्राहकों के संपर्क में आना होता है, बैंक मित्रों/बिजनेस करेस्पोन्डेंट द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए आपके उत्साहवर्धक ट्वीट को देखकर खुशी हो रही है।

नियमित बैंक कर्मचारी अधिक भय और घबराहट के साथ पहले से ही आगामी सप्ताह की ओर देख रहे हैं क्योंकि दो दिन पूर्व आपके द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए शाखाओं में भारी भीड़ होगी।

शाखाओं तक पहुंचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है और बैंक प्रबंधन किसी भी परिवहन सुविधा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। दूसरे, शाखाओं में जमा होने वाली बड़ी भीड़ कर्मचारियों के साथ–साथ ग्राहकों के लिए गंभीर खतरा होगा जो शाखा परिसरों में इकट्ठा हैं।

जारी पृष्ठ 2

अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं कि बैंक प्रबंधन उस भीड़ को कैसे नियंत्रित करने जा रहा है जो वस्तुतः शाखाओं पर टूट पड़ेगी। कृपया बैंकों को कुछ निर्देश दें अन्यथा, हमें डर है, शाखाओं में अराजकता और तनाव होगा।

बैंक मित्रों और बिजनेस करेस्पोन्डेंट्स की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होगी जिनका कार्य आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जायेगा।

वे दूरदराज के गांवों में लोगों तक पहुंचने के लिए परिवहन की कमी की समस्या का सामना करते हैं।

उन्हें दस्तानों, सैनिटाइजिंग लिक्विड, आदि के साथ खुद को सुरक्षित रखने की भी जरूरत होती है क्योंकि उनका सारा लेन–देन मशीनों के जरिए होता है, जिसे बीसी और ग्राहकों को हर बार छूना पड़ता है। इसलिए उनके परिवहन और सैनिटाइजेशन के लिए कुछ अनुग्रह भुगतान किए जाने की आवश्यकता है।

चूंकि वे भी बड़े पैमाने पर जनता के संपर्क में आते हैं और संक्रमित होने का उच्च जोखिम उठा रहे हैं और चूंकि वे बहुत सीमांत पारिश्रमिक समूह से संबंधित हैं, हम आईबीए और बैंकों को सलाह देने के लिए आपके आभारी होंगे कि कोरोना संक्रमण के कारण उपचार की किसी संभावना से निपटने के लिए अगले तीन महीनों के लिए बीसी को कुछ चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करें।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,
ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

प्रतिलिपि :

- **सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, दिल्ली**
- **चेयरमैन, आईबीए तथा सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों हेतु**